

सेवामें  
इन्द्राज दुरुस्ती  
(देखिये धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

गंगापुर सिटी

कार्यालय  
7-11-25

महोदय

विषय: जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 95  
में इन्द्राज दुरुस्ती सूचित।  
प्रार्थी: - श्री प्रभुलाल पुत्र सावल्या जाति-बैरवा निवासी सहजपुर

मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 ग्राम सहजपुर के खाता संख्या 95 में प्रार्थी की पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा चमार अंकित है। अंकित प्रविष्टि के स्थान पर प्रार्थी पिता, माता का नाम/जाति/ हिस्सा बैरवा शुद्ध करवाना चाहता है। हमारे द्वारा इसकी जांच कर ली गई है, मुताबिक संलग्न दस्तावेज व शपथपत्र गवाहान के आधार पर प्रार्थी के पिता, माता का नाम/जाति/हिस्सा बैरवा दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर मू.अ.नि. निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी  
तहसील-गंगापुर सिटी

क्रमांक 5245 कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) गंगापुर सिटी दिनांक 6-11-25

मूल ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय गंगापुर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि मुताबिक रिकार्ड प्रविष्टि जाति-चमार दर्ज है। जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान के आधार पर इसके स्थान पर जाति-बैरवा दुरुस्त करने की अभिशंभा की जाती है।

तहसीलदार(भू.अ.)  
गंगापुर सिटी (सं.मा.०)

7134  
17/11/25

न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

क्रमांक  
17/11/25

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थनापत्र एवं जांच रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.एवं शपथपत्र गवाहान व तहसीलदार गंगापुर सिटी की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसरण में ग्राम सहजपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर की जमाबन्दी स्थायी वर्ष 2018 में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि जाति-चमार के स्थान पर जाति-बैरवा शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

उप जिला कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापुर सिटी (राज०)

2020  
541

3106  
07/11/25